



2026:AHC:41734
इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - सी संख्या 2327 वर्ष 2026

समा बानो
बनाम
चेद्दू और 7 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्रा, चंद्र भूषण सिंह
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।

1. याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. इस याचिका में पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, निजी प्रत्यर्थी को नोटिस भेजकर और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रत्यर्थी इस आदेश से असंतुष्ट है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई मूल राहत अपर आयुक्त प्रथम, प्रयागराज मंडल, जिला कौशांबी, तहसील मंझनपुर, कौशांबी को वाद संख्या 1627 वर्ष 2022 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या सी202202000001627) (वारिस अली और अन्य बनाम चेद्दू और अन्य), पर शीघ्रता से निर्णय/समापन करने का निर्देश देना है।
4. यह मामला 2022 से अवर न्यायालय में लंबित है और काफी समय बीत चुका है लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, याचिका का निस्तारण करते हुए संबंधित न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह उपरोक्त मामले/मुकदमे का निर्णय अनावश्यक स्थगन दिए बिना विधि के अनुसार करे, जब तक कोई विधिक बाधा न हो।

23 फरवरी, 2026

विनोद

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"